43

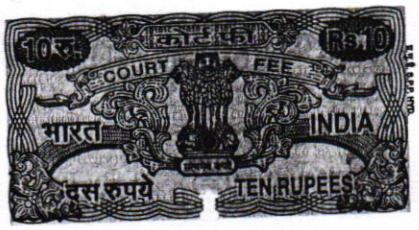

समक्ष : न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म0प्र0)

अपील प्रकरण कमांक/

I/अपील/कटनी/स्टांपअधि/2018/0871

मेसर्स पी0एल0एम0 बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लिमि0
द्वारा संचालक ललित कुमार मित्तल
आत्मज स्व0 श्री सी0 आर0 मित्तल
निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी कटनी

.... अपीलार्थी

विरुद्ध

1. म0प्र0 शासन, द्वारा जिला पंजीयक कटनी जिला कटनी
कार्यालय जिला पंजीयक कार्यालय, जिला कटनी
2. मेसर्स समदड़िया बिल्डलर्स द्वारा पार्टनर श्री किशोर समदड़िया
की ओर से अधिकृत मुखत्यार आम श्री अजीत समदड़िया दोनों
आत्मज श्री केसरीचन्द समदड़िया,
निवासी–16, सराफा बाजार जबलपुर म0प्र0

.....उत्तरवादीगण

③ म.प्र. शासन, द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर

अपील आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 47 (क) (5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

यह कि न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक/710/बी–105/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2017 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों और आधारों पर यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है:–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि उत्तरवादी कमांक–2 द्वारा ग्राम पड़रवारा नं0 बं0 14 प0ह0नं0 44 राजस्व निरीक्षक मण्डल पहाड़ी स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 30 रकवा 4.33 हे0, एवं खसरा 32 जो नामांतरण पश्चात खसरा नंबर 32/2 कुल रकवा 9.46 हे0 भूमि में से रकवा 7.

A-871-I/18 जिला-ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ताक्षर
02-08-18	अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 710बी–15/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–9–2017 के विरूद्व राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 02–02–2018 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता अपर आयुक्त के समक्ष उपस्थित होते रहे, परन्तु उन्होंने अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14–9–2017 की सूचना अपीलांट को समय पर नहीं दी जिसके कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में अभिभाषक से जानकारी पूछने का दिनांक ———कर खाली छोड़ा गया है इसी प्रकार अपर आयुक्त के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिये गये आवेदन का दिनांक भी ———करके खाली छोड़ा गया है एंव प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का दिनांक————करके खाली छोड़ा गया है। स्पष्ट है कि अपीलांट इन रिक्त स्थानों में मनमाफिक तारीख भरने की फिराक में था जो समय रहते नहीं भरने से रिक्त रह गई एंव रिक्त दर्शाते हुये ही अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत कर दिया। अपीलांट स्वीकार कर रहा है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता अपर आयुक्त के समक्ष उपस्थित होते रहे परन्तु उन्होंने अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14–9–2017 की सूचना अपीलांट को नहीं दी। **लंगरी बनाम छोटा रा.नि. 289 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि – कार्यवाही में अनुपस्थित – काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना – मामले के भाग्य के विषय में जांच का प्रयास नहीं किया जाना विलम्ब के लिये माफी के संदर्भ में सदभाविक नहीं कहा जा सकता।** उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलांट न्यायालय के समक्ष सदभावना से नहीं आया है एंव उसके व्दारा विलम्ब के सम्बन्ध में दिया गया स्पष्टीकरण समाधान–कारक नहीं है। अपील समयवाह्य होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	